सामान्य शर्तें एवं दिशा निर्देश

1. आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में

1.1 इच्छुक अभ्यर्थी इस विज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज सहित दिनांक 06/10/2020 से 23/10/2020 सायं 05:00 बजे तक बंद लिफाफे में आवेदित पद का नाम एवं प्रवर्ग अंकित कर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से **कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन , छत्तीसगढ़, तृतीय तल, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल व्यवसायिक परिसर, (दक्षिण पूर्व कॉर्नर), सेक्टर–27, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन–492015 (छत्तीसगढ)** के पते पर भेज कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

1.2 आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा :–

- 10वीं अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र।
- स्नातकोत्तर/स्नातक/अन्य निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षों की अंकसूची।
- संबंधित डिग्री।
- संबंधित काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)।
- रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र।
- छत्तीसगढ़ के निवासियों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण–पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो तो)।
- पहचान पत्र। (आधार कार्ड/वोटर आई.डी./पेन कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस आदि जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पता, फोटो हो)
- अनुभव प्रमाण–पत्र।
- अनापत्ति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो तो)।
- अन्य संबंधित दस्तावेज (यदि लागू हो तो)।

1.3 विज्ञापन जारी तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है। विज्ञापन तिथि उपरांत किसी भी परिस्थिति में कोई भी अन्य प्रमाण–पत्र/दस्तावेज स्वीकर नहीं किया जायेगा और न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य होगा। अतः विज्ञापन अनुसार निर्धारित अर्हता को सिद्ध करने वाले समस्त प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

1.4 आवेदन पत्र हेतु निर्धारित शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से देय होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंक से **"स्टेट हेल्थ सोसायटी, रायपुर (State Health Society Raipur)"** के नाम से तैयार कर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ नियमानुसार डिमांड ड्राफ्ट संलग्न न होने की स्थिति में अथवा किसी अन्य नाम से तैयार डिमांड ड्रॉफ्ट प्राप्त होने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

1.5 आवेदन शुल्क का विवरण निम्नानुसार है :—

संवर्ग	शुल्क का विवरण	
	25000/— प्रतिमाह से कम वेतनमान वाले पदों हेतु	25000/— प्रतिमाह अथवा 25000/— प्रतिमाह से अधिक वेतनमान वाले पदों हेतु
विकलांग/अ.जा./अ.ज.जा./महिला	100	200
अन्य पिछड़ा वर्ग	200	300
अनारक्षित वर्ग	300	400

1.6 अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। अतः अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

1.7 अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपना मोबाईल नंबर एवं ई—मेल आई.डी. का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

1.8 आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर पुनः आवेदन/निवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

1.9 एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने के लिये पृथक—पृथक आवेदन पत्र प्रेषित करना होगा परन्तु उच्चतम मानदेय हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से एक बार ही देय होगा। उक्त तैयार डिमाण्ड ड्राफ्ट की मूल प्रति को उच्चतम मानदेय वाले पद हेतु आवेदित आवेदन पत्र में संलग्न करना होगा तथा अन्य पदों हेतु आवेदित आवेदन पत्रों में डिमाण्ड ड्राफ्ट की प्रतिलिपि संलग्न करना होगा।

2. **आयु सीमा :—**

2.1 01 जनवरी 2020 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष होना चाहिए। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2020 को आधार मानकर की जायेगी।

3. **भर्ती प्रक्रिया :—**

3.1 प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों की स्क्रुटनी उपरांत दावा—आपत्ति हेतु पात्र—अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, सूचना एवं अन्य निर्देशों का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in में पृथक से किया जायेगा। समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी। अन्य किसी भी माध्यम से पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी।

3.2 प्रावीण्य सूची में छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

3.3 छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नही दिया जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में रखा जायेगा।

4. **चयन प्रक्रिया :—**

4.1 पात्र अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं लिखित/कम्प्यूटर बेस्ड कौशल परीक्षा/साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जावेगा।

4.2 **लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु प्रावीण्य सूची —**

4.2.1 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता (स्नातक/स्नात्तकोत्तर) के सभी वर्षो के प्राप्तांको के प्रतिशत का — 65 प्रतिशत।

4.2.2 अनुभव प्रमाण—पत्र विज्ञापित पद से संबंधित होने की दशा में ही मान्य किया जायेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियो को (प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 3 अंक) अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियो को (प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 2 अंक) अधिकतम 10 प्रदान किया जायेगा।

4.2.3 अनुभव प्रमाण—पत्र शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के कार्य अनुभव (जो विज्ञापित पद से संबंधित हो) को मान्य करते हुए अनुभव के अंक प्रदान किये जायेंगे। अनुभव प्रमाण—पत्र मान्यता प्राप्त निजी संस्थान से प्राप्त कार्य अनुभव को मान्य करते हुए अभ्यर्थियों को

नियमानुसार पात्र सूची में सम्मिलित किया जावेगा, किन्तु उन्हे अनुभव अंक प्रदान नहीं किया जायेगा।

4.3 **प्राप्त आवेदनो में से प्रावीण्य सूची अनुसार रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन/कौशल परीक्षा/चयन हेतु आमंत्रित किया जावेगा :-**

स. क्र.	कुल विज्ञापित पदो की संख्या	स्क्रीनिंग/लिखित/कौशल परीक्षा लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10	कुल विज्ञापित रिक्त पदो का 10 गुना
2	11 से 50	कुल विज्ञापित रिक्त पदो का 05 गुना
3	50 से अधिक	कुल विज्ञापित रिक्त पदो का 03 गुना

4.4 **लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के समय अभ्यार्थियों को निम्न दस्तावेजों की मूल प्रति एवं एक-एक स्वप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है :-**

- 10वीं अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र।
- स्नातकोत्तर/स्नातक/अन्य निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षो की अंकसूची।
- संबंधित डिग्री।
- संबंधित काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)।
- रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)।
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)।
- पहचान पत्र। (आधार कार्ड/वोटर आई.डी./पेन कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस आदि जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पता, फोटो हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो-01 प्रति।
- अनुभव प्रमाण-पत्र।
- अनापत्ति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)।
- अन्य संबंधित दस्तावेज (यदि लागू हो तो)।

4.5 **अंतिम चयन सूची :-**

4.5.1 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता (स्नातक/स्नात्तकोत्तर) के सभी वर्षो के प्राप्तांको के प्रतिशत का-65 प्रतिशत अंक।

4.5.2 अनुभव प्रमाण-पत्र विज्ञापित पद से संबंधित होने की दशा में ही मान्य किया जायेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियो को (प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 3 अंक) अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियो को (प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 2 अंक) अधिकतम 10 प्रदान किया जायेगा।

4.5.3 कौशल परीक्षा-20 अंक (पद के अनुरूप लिखित/कम्प्यूटर बेस्ड/साक्षात्कार आदि के स्वरूप में लिया जायेगा)

4.5.4 कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के कुल अंको का 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। 40 प्रतिशत अंक अर्जित नही करने की दशा में अभ्यर्थी को अपात्र माना जायेगा।

4.5.5 अंतिम प्रावीण्य सूची अनिवार्य मूल शैक्षणिक योग्यता (स्नातक/स्नात्तकोत्तर) के सभी वर्षो का प्राप्तांको के प्रतिशत का 65 प्रतिशत अंक, अनुभव के अंक तथा कौशल परीक्षा में प्राप्तांको के योग के आधार पर तैयार की जावेगी।

4.6 प्रतीक्षा सूची :—

उक्त पद के लिये प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नवीन भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने तक जो पहले हो तक रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नए पद/त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदो को भी इसी प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा। **प्रतीक्षा सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के 25 पदों तक 200 प्रतिशत, 25 से 50 पदो हेतु 150 प्रतिशत, 50 से अधिक पदो हेतु 100 प्रतिशत अभ्यार्थियों को प्रतीक्षा सूची मे रखा जायेगा, ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सकें।**

5 **भर्ती के संबंध में अन्य शर्तें**

5.1 मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। चयन के पश्चात् भी किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/प्रमाण पत्र या अन्य त्रुटि दोनो पक्षों से (किसी भी पक्ष की ओर से) पाये जाने की अवस्था में नियमानुसार सेवा से पृथक किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

5.2 शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है, उस संस्था का यू.जी.सी, ए.आई.सी.टी.ई एवं संबधित कौंसिल से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है।

5.3 संविदा मानदेय :— संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।

5.4 पदों के साथ वर्णित वेतन सांकेतिक है। राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्णय से पदों के मानदेय में परिवर्तन संभावित है।

5.5 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन किया जावेगा। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में संविदा सेवा अवधि की वृद्धि आगामी वर्ष हेतु की जा सकती है। नियमित भर्ती किये जाने पर संविदा पद स्वतः निरस्त हो जायेंगे। भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर.ओ.पी. में स्वीकृति के आधार पर ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की कार्यवाही की जावेगी।

5.6 चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् मानव संसाधन नीति के नियमानुसार एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा कर त्याग पत्र दिया जा सकता है।

5.7 संविदा भर्ती के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम एवं समय–समय पर जारी अन्य निर्देश/आदेश/नियम यथा संशोधित लागू होंगें।

5.8 संविदा भर्ती हेतु अन्य शर्ते एवं नियम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 के अनुसार लागू होंगे।

5.9 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (**टीप** :—स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक पात्र होंगे)

5.10 उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

5.11 विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।

5.12 आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्त रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया/मापदण्डों पर निर्भर करेगी।

5.13 चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थीद्वारा चयन हेतु किसी भी प्रकार का दबाव डाला जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जायेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जायेगा।

5.14 ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गयी है, चाहे वे किसी भी पद पर रहे हो उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जावेगा।

5.15 भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ को होगा जो सभी अभ्यर्थियों को मान्य होगा।

5.16 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुभव अंक हेतु नियोक्ता द्वारा जारी हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जायेगा। अनुभव प्रमाण–पत्र आवेदित पद के समकक्ष कार्य का होना अनिवार्य होगा।

6 अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :–

6.1 परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी व लिखित/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की सूची तथा परीक्षा स्थान की जानकारी समय–समय पर केवल विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in में उपलब्ध करायी जायेगी। समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी। पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी।

6.2 आवश्यकतानुसार कौशल परीक्षा राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, सेक्टर–27, नवा रायपुर,अटल नगर में ली जायेगी, जिसमें शामिल होने के लिये अभ्यर्थियों को कोई व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा।

6.3 दावा आपत्ति की प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी प्रकार के अतिरिक्त दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

6.4 नियुक्ति पत्र अभ्यर्थी के ई–मेल आई.डी. में प्रेषित की जायेगी। अतः अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अपना मोबाइल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. स्पष्ट रूप से अंकित करें।

मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
छत्तीसगढ़